पीत ज्वर प्रभावित देशों से भारत आ रहे/लौट रहे यात्रियों के लिए एडवाइजरी

1. आईएचआर-2005 के अनुच्छेद 6 के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पीत ज्वर अधिसूचित किए जाने पर भारत सरकार के पास किसी देश के सम्पूर्ण भू-भाग को पीत ज्वर से संक्रमित क्षेत्र मानने का अधिकार है। पीत ज्वर से प्रभावित देशों की भारत सरकार द्वारा जारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, सूची अनुलग्नक-। में दी गई है।

2. पीत ज्वर को अंतरराष्ट्रीय सरोकार के जन स्वास्थ्य आपात रोग के रूप में माना जाता है और वाहनों के विसंक्रमण, यात्रियों तथा चालक दल के टीकाकरण संबंधी आवश्यकताओं एवं संगरोध (जब भी आवश्यक हो) जैसे वर्तमान में लागू सभी स्वास्थ्य उपायों का कार्यान्वयन किया जाएगा।

3. पीत ज्वर प्रभावित किसी भी देश से प्रस्थान के 6 दिन के भीतर भारत आ रहे सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को देश द्वारा निर्धारित किसी पीत ज्वर टीकाकरण केंद्र से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी मॉडल के अनुसार टीकाकरण अथवा रोगनिरोध का वैध प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) रखना होगा।

4. पीत ज्वर टीकाकरण, रोगनिरोध के वैध मूल प्रमाण-पत्र के बिना पीत ज्वर से प्रभावित किसी भी देश से भारत में आ रहे किसी यात्री को अपने शरीर में पीत ज्वर का वायरस लेकर आने वाला संदिग्ध व्यक्ति माना जाएगा और उसका संगरोध किया जाएगा।

5. संगरोध का समय 6 दिन तक सीमित है और अवधि की गणना प्रभावित देश के हवाई अड्डे से यात्री के प्रस्थान के समय से अथवा पीत ज्वर टीकाकरण के वैध होने तक (जो भी कम हो) की जाती है।

6. चिकित्सा आधारों/गर्भावस्था/बीमारी आदि के आधार पर पीत ज्वर के टीकाकरण में छूट देने से व्यक्ति संगरोध से नहीं बच सकता।

7. पीत ज्वर टीकाकरण अथवा रोग निरोध प्रमाण-पत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उचित प्रपत्र में होना चाहिए।

- यदि पीत ज्वर टीकाकरण भारत में करवाया गया है तो वह तभी वैध होगा जब वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित पीत ज्वर टीकाकरण केंद्र से करवाया गया हो। कार्यरत पीत ज्वर केंद्रों की सूची फ्लैग बी पर दी गई है।

- टीकाकरण प्रमाण-पत्र में सभी कॉलम ठीक प्रकार से भरे जाने चाहिए।

- यात्रियों की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, पासपोर्ट नम्बर, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट में दर्शाए अनुसार सही-सही भरी जानी चाहिए और उसे स्वयं यात्री द्वारा अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करना चाहिए।

- रोग के नाम, टीके के बैच नम्बर, टीकाकरण की तारीख, हस्ताक्षर और टीका लगाने वाले के व्यावसायिक दर्जे संबंधी प्रविष्टियां सही प्रकार से भरी जानी चाहिए और टीकाकरण प्रमाण-पत्र पर टीकाकरण केंद्र की आधिकारिक मुहर लगाई जानी चाहिए।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, टीकाकरण की तारीख उचित स्वरूप में, अर्थात्- दिन-महीने का नाम-वर्ष (23 सितम्बर 2012), होनी चाहिए।

- प्रमाण-पत्र टीकाकरण की तारीख के 10 दिन के बाद ही वैध होता है। इसका कारण यह है कि टीकाकरण के बाद शरीर को पीत ज्वर के विरुद्ध प्रतिरक्षण क्षमता विकसित करने में 10 दिन लगते हैं। पीत ज्वर का टीका लगवाने के 10 दिन के भीतर पीत ज्वर प्रभावित देश से भारत आ रहे किसी भी यात्री को 6 दिन के लिए संगरुद्ध किया जाएगा जिसकी गणना प्रभावित देश के हवाई अड्डे से प्रस्थान की तारीख और समय से अथवा प्रमाण-पत्र के वैध होने से, जो भी पहले हो, की जाएगी।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम-2005 के अनुसार, प्रमाण-पत्र के किसी भी भाग को पूरा न करने पर टीकाकरण प्रमाण-पत्र ''अवैध'' हो जाएगा।

- प्रमाण-पत्र पर यात्री के हस्ताक्षर का पासपोर्ट के हस्ताक्षर से सत्यापन किया जाएगा।

टिप्पणी: नियमानुसार अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के दौरान क्लियरेंस के लिए केवल मूल टीकाकरण प्रमाण-पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा और फैक्स कॉपी/फोटो कॉपी/ई-मेल अथवा किसी अन्य स्वरूप में प्रमाण-पत्र, टीकाकरण के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

8. यात्रियों के संगरोध की अवधि के दौरान संगरुद्ध यात्रियों की किसी भी बीमारी का इलाज पदनामित विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा एपीएचओ के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

9. पीत ज्वर प्रभावित देशों का दौरा करने के इच्छुक सभी यात्रियों को पीत ज्वर का टीकाकरण करवाने की सलाह दी जानी चाहिए, भले ही वे 6 दिन के भीतर भारत लौट आने वाले हों, उन्हें संगरोध की प्रक्रिया/विनियमनों के लागू होने से बचने के लिए उनके भारत आगमन पर पीत ज्वर टीकाकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

इन संगरोध नियमों में से किसी भी नियम के तहत "कोई डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी उपलब्ध नहीं है।"